न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 02 / 2017(2017 / 00003)

अनवान : —

जगदीश पुत्र रामरख जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा

प्रार्थी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

असल अप्रार्थीगण

3. ओमप्रकाश पुत्र रामरख जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
4. हरिसिंह पुत्र रामरख जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री महेन्द्र जांगिड़ **प्रार्थी**
श्री कृष्ण गर्ग **अप्रार्थी संख्या** 1
राजपैरोकार अप्रार्थी **संख्या** 2
श्री राममूर्ति ताखर **अप्रार्थी सं.** 3 व 4

आदेश

दिनांक : 10/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा के रोही मौजा ग्राम डूंगराना के वर्तमान खाता संख्या 48 / 40 के खसरा न0 216 की 6.513 है0, खसरा न0 217 की 0.1520 है0, खसरा न0 223 की 4.932 है0, खसरा न0 243 की 5.9310 है0, खसरा न0 460 की 2.466 है0 इस प्रकार कुल खसरा 5 की कुल 19.994 हैक्टेयर प्रार्थी जगदीश व तरतीबी अप्रार्थी ओमप्रकाश व हरिसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा डूंगराना के वर्तमान खाता संख्या 374 / 348 के खसरा न0 83 / 1 की 1. 517 है0, खसरा न0 215 / 2 की 1.619 है0, खसरा न0 218 की 0.506 है0, खसरा न0 642 की 0.776 है0 इस प्रकार कुल खसरा 4 की कुल 4.418 हैक्टेयर अप्रार्थी रामकुमार के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि व ... डूंगराना के खसरा न0 216 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थी ... पूर्व से पश्चिम के लिये ... स्वीकृत किया जावें। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये उक्त रास्ता के अलावा ... कोई चालू या स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। इसलिए अप्रार्थी की रोही मौजा डूंगराना के खसर नम्बर 218 में पूर्व से पश्चिम में एक गट्ठा चौड़ा रास्ता के रूप में दर्ज की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:34:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

इसके अलावा प्रार्थी का अपने खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत अथवा चालू नही है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 रामकुमार ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के आवेदन का खण्डन करते हुए कथन किया कि खसरा न0 217 के सड़क लगती है तथा खसरा न0 217 स्वयं प्रार्थी की खातेदारी भूमि है एवं खसरा न0 216, 217 के चिपती हुई है। इसलिए अपनी खातेदारी खसरा न0 216 में अपने खसरा न0 217 में से होकर आवागमन कर सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार भादरा ने रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली है।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी सदामत से खसरा न0 218 में से होकर आवागमन करता है तथा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है तथा अपने खेत में पहुंचने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। जो सदामत से चला आ रहा है। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि खसरा न0 217 व 216 आपस में चिपते हुये है तथा खसरा न0 217 के सड़क लगती है इसलिए प्रार्थी स्वयं के खेत के सड़क लगती है, इसलिए उसे खसरा न0 218 में रास्ता स्वीकृत करवाने की आवश्यकता नही है। तहसीलदार भादरा द्वारा पेश रिपोर्ट व नक्शा में भी प्रार्थी की खसरा न0 216 व 217 की भूमि आपस में चिपती हुई है व खसरा न0 217 के सड़क लगती है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार भादरा द्वारा पेश रिपोर्ट व नक्शा में भी प्रार्थी की खसरा न0 216 व 217 की भूमि आपस में चिपती हुई है व खसरा न0 217 के सड़क लगती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन के लिये खसरा न0 218 में से रास्ता स्वीकृत करवाने की कोई आत्यन्तिक आवश्यकता नही है तथा खसरा न0 216 में प्रवेश करने के लिये स्वयं प्रार्थी अपनी खातेदारी खसरा न0 217 में से होकर प्रवेश कर सकता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) कॉलोनाईजेशन एक्ट का स्वीकार योग्य नही होने व प्रार्थी को खसरा न0 218 में से रास्ता की कोई आत्यन्तिक आवश्यकता नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:34:47 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़